राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1662/2006

राज्य और अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राजू लाल हरिजन एवं अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	सुश्री वंदना भंसाली श्री गौरव रांका
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री सुशील सोलंकी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

22/05/2024

1. याचिकाकर्ता- राज्य, अपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा के माध्यम से, विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2004 को दिए गए एक निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष व्यथित है, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1/कर्मचारी को बिना बकाया वेतन दिए बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रम न्यायालय के समक्ष दावा याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उसे 18.06.1991 को स्वीपर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाओं को समाप्त करने से पहले, न तो कोई अनिवार्य नोटिस दिया गया था और न ही इसके बदले में वेतन दिया गया था। इस प्रकार उसकी सेवा समाप्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एफ), (जी) और (एच) के प्रावधानों का उल्लंघन थी।

2.2 दावा याचिका के उत्तर में कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 को अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 के तहत दावा याचिका संधारणीय नहीं है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का काम पूरा नहीं किया।

2.3 दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान श्रम न्यायालय ने 08.11.2004 के निर्णय और फैसले के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर दावा याचिका को स्वीकार कर लिया और उसे बिना बकाया वेतन के बहाल करने का निर्देश दिया।

3. उपर्युक्त कथन की पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

4. विद्वान वकीलों की सहायता का लाभ उठाने और आक्षेपित फैसले और याचिका के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों के अवलोकन के बाद, मेरा विचार है कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है। आइए हम इसके कारणों पर आगे के पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा करें।

5. सबसे पहले, हम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ का संदर्भ लें, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "25F. कामगारों की छंटनी के लिए पूर्व शर्तें- किसी उद्योग में नियोजित कोई भी कामगार जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा हो, उस नियोजक द्वारा तब तक छंटनी नहीं की जाएगी जब तक कि -
>
> (क) कामगार को छंटनी के कारणों को दर्शाते हुए एक महीने का लिखित नोटिस नहीं दिया गया हो और नोटिस की अवधि समाप्त नहीं हो गई हो, या कामगार को ऐसे नोटिस के बदले नोटिस की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो;
>
> (ख) कामगार को छंटनी के समय, प्रतिकर का भुगतान किया गया हो जो [निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष] या छह महीने से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा; और

(ग) निर्धारित तरीके से नोटिस उपयुक्त सरकार [या ऐसे प्राधिकारी को जिसे उपयुक्त सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है] को दिया गया हो।"

6. उपरोक्त प्रावधान स्वतः स्पष्ट है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाएं 06.07.1992 से समाप्त होने के समय इसका कोई अनुपालन नहीं किया गया था। केवल इसी आधार पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा पारित सेवा समाप्ति का आदेश संधारणीय न होने के कारण, विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा सही रूप से अपास्त किया गया था।

7. मामले के गुण-दोष पर आगे विचार करते हुए, आक्षेपित अवार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि डॉ. डी.एल. छीपा, जिन्हें विभाग द्वारा गवाह के रूप में पेश किया गया था, ने कहा है कि आदेश/प्रदर्श 01 से 06 विभाग द्वारा जारी किए गए थे। उक्त कार्यालय आदेश प्रदर्श 01 से 06 द्वारा रोजगार अनुबंध की अवधि बढ़ा दी गई थी। विद्वान श्रम न्यायालय ने आगे सही माना है कि प्रतिवादी ने 19.06.1991 से 05.07.1992 तक सरकारी अस्पताल काशीपुरी, भीलवाड़ा में काम किया है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 बी के तहत आता है।

8. इस प्रकार विद्वान श्रम न्यायालय साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया है और इसलिए वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के अंतर्गत संरक्षण पाने का हकदार है। तदनुसार, विद्वान श्रम न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी की सेवाओं में कटौती न्यायोचित नहीं है।

9. विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्ष न्यायोचित और कानूनी हैं तथा संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित हैं।

10. परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित है और अन्यथा कानून में किसी भी अनियमितता या अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

11. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

12. रिट याचिका खारिज की जाती है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।